


C2/107/17

21/11/18 पोली

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2017/00126	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.18	<p>पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने हस्तगत प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 16.11.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 4/2017 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 16.11.2017 की पालना में तहसीलदार, टोडारायसिंह द्वारा निर्णय दिनांक 27.2.2018 को पारित किया जा चुका है । अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में तहसीलदार, टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 27.2.2018 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 28.11.2018 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, टोडारायसिंह को प्रतिप्रेषित किया गया है । अतः अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील स्वतः सारहीन हो चुकी है ।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के कम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 107/2017 (2017/00126) बउनवान रामदेव बनाम पोली सारहीन होने से खारिज की जाती है । निर्णय आज दिनांक 28.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।</p> <p style="text-align: right;">   <b>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त</b>  <b>अजमेर</b> </p>	

Scanned by CamScanner

